

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 938 /11-सी- FP/UP/Others /31597/2018, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 11, 2019

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद मेरठ में गढ़-मेरठ-बागपत-सोनीपत रोड (SH-14) के कि०मी० 53 (च-52-54-0 बप-52-54-0) पर खसरा नम्बर 103 व 104 ग्राम मलियाना, जिला-मेरठ पर रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.079198 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव। (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others /31597/2018)

सन्दर्भ: उ०प्र० शासन का पत्रांक-पी-37/14-2-2019-800 (53)/2019 दिनांक 04.06.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृत में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ ने अपने पत्रांक-1489/14-1 दिनांक 08.11.2019 द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 11.11.2019 को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
11/11

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-938/11-सी- FP/UP/Others /31597/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मेरठ।
- 3- स्टेट हेड, यू०पी० (वेस्ट) एंड उत्तराखण्ड रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि०, साइबर सिटी, फेज-2, गुडगाँव।

o/c

11/11

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।